Witness No- **01** For आवेदक स्वयं Deposition taken the Day of दिनांक 24/08/2023 Witness appearent age- 39 वर्ष,

States of affirmation oath my name is **शिवलाल साहू**

**S/of-** श्री पुनाराम साहू, Occupation- कृषि मजदूर

Address - ग्राम – करेली, थाना– धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

**समय : 01:00 बजे से 02:00 बजे तक।**

———————————————————————————————

**//मुख्य परीक्षण द्वारा श्री एम.के. सोनी, अधिवक्ता वास्तें आवेदक//**

**01–** घटना 19.04.2017 को रात्रि 10:00 बजे ग्राम धमधा से ग्राम बरहापुर अपने मोटर सायकल डिस्कवर क्र. सी.जी. 07 ए.एफ. 1230 से जा रहा था, तभी राजू पटेल की बाडी के पास सामने की ओर से आ रही पीकप बोलेरो वाहन क्रमांक सी.जी. 18 डी. 0886 के चालक ने तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर मेरे वाहन को जोरदार ठोकर मार दिया, जिसके परिणामस्वरूप मेरे दाहिने पैर के घुटने के नीचे की हड्डी टूट गई तथा बाये पैर की जांघ की हड्डी टूट गई, जिसे रॉड डालकर जोड़ा गया है एवं दाहिने हाथ की कलाई के उपर की हड्डी टूट गई तथा कमर के दाहिने साईड की हड्डी टूट गई है तथा शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोट आई है।

**02–** मेरा प्राथमिक ईलाज प्राथमिक चिकित्सालय धमधा में हुआ, जहां मेरी गंभीर स्थिति को देखते हुये मुझे जिला चिकित्सालय दुर्ग रेफर कर दिया गया। जहां पर मेरी गंभीर स्थिति को देखते हुये मुझे चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल भिलाई में रेफर कर दिया, जहां मैं 35 दिनों तक भर्ती रहकर अपना ईलाज करवाया।

**03–** घटना के समय मेरी उम्र 34 वर्ष की थी। मैं कृषि मजदूरी करता था, जिससे मुझे 400/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रतिमाह 12,000/– रूपये की आय हो जाती थी।

**05–** घटना की रिपोर्ट थाना धमधा में प्रश्नगत वाहन चालक के खिलाफ दर्ज कराया गया है। संपूर्ण विवेचना उपरांत दांडिक न्यायालय में अभियोग पत्र

पेश किया गया है। मैंने अभियोग पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रदर्श पी.– 1** से **प्रदर्श पी.– 22** तक पेश किया हूॅ। मेरे ईलाज से संबंधित दस्तावेज एवं बिल **प्रदर्श पी.– 23 से प्रदर्श पी.– 51 तक** है। उक्त ईलाज में मुझे 1,35,000/– रूपये का खर्च आया। मुझे दावा अनुरूप क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जावे।

**//प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दिनेश सिंह, अधिवक्ता वास्तें अना. क्रमांक 01 व 02//**

**06–** यह कहना सही है कि मैं घटना दिनांक को मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 07 ए.एफ. 1230 को चला रहा था। यह कहना सही है कि प्रश्नगत वाहन ग्राम बरहापुर की तरफ से ग्राम करेली की ओर आ रही थी। यह कहना सही है कि प्रश्नगत वाहन एवं मेरी मोटर सायकल की टक्कर आमने–सामने हुई थी।

**07–** यह कहना सही है कि दुर्घटना स्थल की सडक चौड़ी है। यह कहना सही है कि दुर्घटना रात्रि 10 से 10:30 बजे के आस–पास घटित हुई थी। यह कहना सही है कि प्रश्नगत वाहन दूर जाकर पलटी हो गई थी। स्वतः कहा कि दुर्घटना करने के बाद पलटी हुआ था। मेरे पास वाहन चलाने का डी.एल. है। यह कहना सही है कि मैंने अपना डी.एल. प्रकरण में पेश नहीं किया हूॅ। यह कहना सही है कि मेरे पास वाहन चलाने का कोई डी.एल. आर.टी.ओ. कार्यालय से नहीं बनाया गया है। यह कहना गलत है कि मुझे वाहन चलाना नहीं आता है। यह कहना गलत है कि दुर्घटना में मेरी गलती थी।

**08–** यह कहना सही है कि मैंने अपने कार्य एवं आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हूॅ। यह कहना गलत है कि मैं कृषि कार्य नहीं करता था। यह कहना गलत है कि मैं वर्तमान में भी मजदूरी करके जीवनयापन कर रहा हूॅ। यह कहना सही है कि मैं जिला मेडिकल बोर्ड से स्थायी अपंगता प्रमाण पत्र बनवाकर पेश नहीं किया हूॅ। यह कहना गलत है कि मैं स्थायी रूप से अपंग नहीं हुआ हूॅ।

**09–** यह कहना सही है कि मैं आज न्यायालय बिना किसी सहारे के स्वयं चलकर सीढी से आया हूॅ। स्वतः कहा कि मैं सीढी को पकड–पकड कर चढा हूॅ। यह कहना गलत है कि मेरा ईलाज शासकीय अस्पताल में निःशुल्क हुआ

है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी. – 26 हॉस्पिटल का बिल है एवं उसके एडवांस भुगतान की रसीद प्रदर्श पी. – 32 से 35 तक है।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया सही होना पाया।

RAKESH KUMAR VERMA
Digitally signed by RAKESH KUMAR VERMA

**(राकेश कुमार वर्मा)**
द्वितीय अपर मो0 दुर्घटना दावा अधिकरण,
दुर्ग (छ0ग0)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

RAKESH KUMAR VERMA
Digitally signed by RAKESH KUMAR VERMA

**(राकेश कुमार वर्मा)**
द्वितीय अपर मो0 दुर्घटना दावा अधिकरण,
दुर्ग (छ0ग0)

**साक्षी के हस्ताक्षर**